रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2016/भाद्र 10, 1938**
No. 608] **NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016/BHADRA 10, 1938**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 843(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची में—

निदेशक (भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 के स्तंभ 12 में "प्रोन्नति" शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांक "(i)" दिया जाएगा तथा प्रविष्टि के अन्त में "और" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा और संख्यांक "(i)" में दी गई प्रविष्टि के उपरांत निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(ii)" किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, स्थापन नियमों, वित्तीय नियमों और विधिकमाप विज्ञान से सम्बन्धित नियमों में, चार सप्ताह का प्रशिक्षण";

(क) □चार्य के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 2 के स्तंभ 12 में "प्रोन्नति" शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांक "(i)" दिया जाएगा तथा प्रविष्टि के अन्त में "और" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा और संख्यांक "(i)" में दी गई प्रविष्टि के उपरांत निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(ii)" किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, स्थापन नियमों, वित्तीय नियमों और विधिकमाप विज्ञान से सम्बन्धित नियमों में, चार सप्ताह का प्रशिक्षण";

[फा. सं. ए-12018/2/2016-स्थापन]

अर्चना वर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 130 तारीख 27 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2016

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group 'A' Posts), Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, in the Schedule,

   (a) against serial number 1 relating to the post of Director (Indian Institute of Legal Metrology), in column (12), under the heading "Promotion", the existing entry shall be numbered as "(i)" and at the end of the entry, the word "and" shall be inserted and after the entry as so numbered "(i)", the following entry shall be inserted, namely:—

   "(ii) four weeks training in Establishment Rules, Financial Rules and Rules relating to the Legal Metrology from the recognised Institutes.";

   (b) against serial number 2 relating to the post of Professor, in column (12), under the heading "Promotion", the existing entry shall be numbered as "(i)" and at the end of the entry, the word "and" shall be inserted and after the entry as so numbered "(i)", the following entry shall be inserted, namely:-

   "(ii) four weeks training in Establishment Rules, Financial Rules and Rules relating to the Legal Metrology from the recognised Institutes.";

[F. No. A-12018/2/2016-Estt.]

ARCHANA VARMA, Dy. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 130 dated the 27th July, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.05 10:12:26 +05'30'